



संख्या 4338/जी0एस0(शिक्षा)/A3-46(1)/2018

प्रेषक,

रीना जोशी,  
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,  
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,  
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड

देहरादून दिनांक 09 फरवरी, 2026

महोदय,

कृपया कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा एफिलिएशन पोर्टल पर प्रेषित प्रस्ताव, पंजीकरण क्रमांक 241106013026, दिनांक 29.12.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें डॉ० सुशीला तिवारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सितारगंज, ऊधम सिंह नगर को बी0ए0 एवं एम0ए0 पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37(2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा० कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
01	डॉ० सुशीला तिवारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सितारगंज, ऊधम सिंह नगर।	बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, भूगोल, गृह विज्ञान)	80 सीट प्रति विषय	2025-26
		एम0ए0 (हिन्दी, राजनीति विज्ञान, इतिहास)	60 सीट प्रति विषय	
		एम0ए0 (गृह विज्ञान)	25 सीट	

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह

- में उपलब्ध करायें।
- प्रश्नगत प्रस्ताव पर निर्णय छात्रहित में लिया जा रहा है। विश्वविद्यालय का यह दायित्व होगा कि संस्थान से प्राप्ति राशि हेतु निर्धारित मानकों/प्रक्रियाओं का अनुपालन करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें, ताकि असामान्य परिस्थितियों में संस्थान को बिना किसी सहायता एवं बाहरी स्रोत के संचालित कराते हुए अध्ययनरत् छात्रों के हितों की रक्षा की जा सके।
  - अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

भवदीया,  
Digitally signed by  
REENA JOSHI  
Date: 04-02-2026 (रीना जोशी )  
17:17:12  
कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या 4338(1)/जी0एस0(शिक्षा)/A3-46(1)/2018 तददिनांकित।  
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य- सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

Digitally signed by  
Shri Laxman Ram Arya  
Date: 09-02-2026 आज़ा से,  
12:29:58

( लक्ष्मण राम आर्य )  
कुलाधिपति के उपसचिव।